**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 400

उत्‍तर देने की तारीख: 13.12.2018

**विदेशी छात्र एवं संकाय सदस्यगण**

400. श्री मो॰ नदीमुल हकः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश भर के उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अध्ययन कर रहे विदेशी छात्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश भर के उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अध्यापन कर रहे विदेशी संकाय सदस्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विदेशी छात्रों एवं संकाय सदस्यों के लिए आकर्षक बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क): उच्‍चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किए गए अखिल भारतीय उच्‍चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) की रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन वर्षों (2015, 2016 और 2017) के दौरान सम्‍पूर्ण देश में उच्‍चतर शैक्षिक संस्‍थानों में अध्‍ययनरत विदेशी छात्रों का राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्रवार ब्‍यौरा संलग्‍न है।

(ख): मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्‍चतर शैक्षिक संस्‍थानों में शिक्षा प्रदान कर रहे विदेशी संकाय सदस्‍यों के संबंध में राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्रवार ब्‍यौरा रखा नहीं जाता है।

(ग): भारत सरकार का विभिन्‍न योजनाओं/पहलों द्वारा समय-समय पर विदेशी छात्रों और संकाय सदस्‍यों का आकर्षित कर भारत को एक वैश्‍विक शैक्षिक हब बनाने का सतत प्रयास रहा है। इसमें हाल ही में शुरू की गई पहल जैसे (एसपीएआरसी) भारत में अध्‍ययन (एसआईआई) शैक्षिक और शोध प्रोत्‍साहन योजना (एसपीएआरसी) शामिल है।

व्‍यवस्थित ब्रांड बिल्डिंग, मार्केटिंग, सामाजिक मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग अभियानों के माध्‍यम से देश में आने वाले अंतर्राष्‍ट्रीय छात्रों के प्रवाह की वृद्धि के द्वारा भारत को विदेशी छात्रों के लिए शैक्षिक हब बनाने के उद्देश्‍य से 18.04.2018 को एसआईआई कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम चयनित 30 प्‍लस देशों से विदेशी छात्रों को आकर्षित करने पर जोर देता है। कार्यक्रम में अंतर्राष्‍ट्रीय छात्रों के लिए 100 प्रतिशत से 25 प्रतिशत सीमा में मेधावी विदेशी छात्रों को फीस माफी सहित किफायती दरों पर सीटें प्रस्‍तावित कर चयनित प्रसिद्ध भारतीय संस्‍थान/विश्‍वविद्यालयों की भागीदारी की परिकल्‍पना की गई है। एक केंद्रीकृत प्रवेश वेबपोर्टल (https://studyinindia.gov.in) विदेशी छात्रों के प्रवेश हेतु एकल विंडों के रूप में कार्य करता है।

एसपीएआरसी का लक्ष्‍य राष्‍ट्रीय और अंतर्राष्‍ट्रीय महत्‍व की समस्‍याओं के संयुक्‍त समाधान के लिए भारतीय संस्‍थानों [एनआईआरएफ में समग्र शीर्ष 100 या श्रेणीवार शीर्ष-100 (उत्‍कृष्‍टता के संस्‍थान और ऐसे प्राइवेट संस्‍थान जिन्‍हें यूजीसी अधिनियम की 12 (बी) के तहत मान्‍यता प्राप्‍त है सहित)] और 28 चयनित राष्‍ट्रों के विश्‍व में श्रेष्‍ठ संस्‍थान (क्‍यूएस वर्ल्‍ड विश्‍वविद्यालय रैकिंग में सूचीबद्ध समग्र शीर्ष-500 और विषयवार शीर्ष 200 संस्‍थान) के बीच शैक्षिक और शोध सहयोग की सुविधा द्वारा भारत की उच्‍चतर शैक्षिक संस्‍थाओं के शोध इकोसिस्‍टम का सुधार करना है। इससे दीर्घ अवधि शोध और शिक्षण गतिविधियों के लिए छात्रों/संकाय का आदानप्रदान शामिल है। अधिक विवरण https://sparc.iitkgp.ac.in पर है।

इन पहलों के अतिरिक्‍त उच्‍चतर शिक्षा में 30 नवंबर, 2015 को वैश्विक शैक्षिक नेटवर्क पहल (ज्ञान) का शुभारंभ किया गया और यह बेहद सफल रहा। इस कार्यक्रम के तहत, सम्‍पूर्ण विश्‍व के प्रमुख संस्‍थाओं के एक सप्‍ताह या दो सप्‍ताह के पाठ्यक्रम हेतु प्रख्‍यात शिक्षाविदों को भारतीय संस्‍थाओं में आमंत्रित किया जाता है। अब तक 1800 से अधिक पाठ्यक्रमों को इस कार्यक्रम के तहत अनुमोदित किया गया है। इससे संबंधित ब्‍यौरा https://gian.iitkgp.ac.in पर प्राप्‍त किया जा सकता है।

हाल ही में, विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 76 शैक्षिक संस्‍थाओं (26.07.2018 के आंकड़ों के अनुसार) को स्‍वायत्‍तता दी है जिन्‍होंने उच्‍च शैक्षिक मानकों को बनाए रखा है। यूजीसी ने विश्‍वविद्यालयों को तीन श्रेणी में बांटा है: श्रेणी-।, श्रेणी-।। और श्रेणी-।।।. श्रेणी-। और श्रेणी-।। के तहत आने वाले विश्‍वविद्यालययूजीसी के अनुमोदन के बिना उनकी स्‍वीकृत संकाय संख्‍या से अधिक 20 प्रतिशत तक विदेशी संकाय को रख सकते हैं। ये संस्‍थान विदेशी विद्यार्थियों को मेरिट आधार पर प्रवेश देने के लिए स्‍वतंत्र होंगे, जोकि घरेलू विद्यर्थियों की अनुमोदित संख्‍या से अधिकतम 20 प्रतिशत तक हो सकता है।

भारत सरकार भारतीय उच्‍चतर शैक्षिक संस्‍थाओं के वैश्विक मानकों/अंतर्राष्‍ट्रीय रैंकिंग सुधारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की महत्‍वपूर्ण पहलों में से एक शैक्षिक संस्‍थाओं को उत्‍कृष्‍टता संस्‍थान (आईओई) घोषित करना है जिनमें भारतीय विद्यार्थियों को देश में ही विश्‍वस्‍तरीय शिक्षा प्रदान की जा सके। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में 6 ऐसे संस्‍थाओं को उत्‍कृष्‍टता संस्‍थान का दर्जा प्रदान किया गया है। ऐसी आशा है कि उपर्युक्‍त चयनित संस्‍थान अगले 10 वर्षों में वर्ल्‍ड रैंकिंग के शीर्ष 500 में और इसके बाद वर्ल्‍ड रैकिंग के शीर्ष 100 में स्‍थान बना पाएंगे। शीर्ष वैश्विक रैंकिंग प्राप्‍त करने के लिए अधिक स्‍वायत्‍ता देने का प्रावधान किया गया है अर्थात प्रवेश पाए विद्यार्थियों के 30 प्रतिशत तक विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश देना; संकाय संख्‍या के 25 प्रतिशत तक विदेशी संकाय की भर्ती करना; इसके कार्यक्रमों के 20 प्रतिशत तक का ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित करना; विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति के बिना विश्‍व रैकिंग के शीर्ष 500 संस्‍थाओं से शैक्षिक सहयोग समझौता करना; बिना प्रतिबंध के विदेशी छात्रों की फीस निश्चित करना; और वसूल करना, क्रेडिट घंटों के संदर्भ में पाठ्यक्रम संरचना तथा डिग्री प्राप्ति वर्षों को लचीला बनाना; पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या निर्धारित करने में पूर्ण लचीलापन बरतना है।

भारत सरकार की अन्‍य पहलों में स्‍टडी वेब्‍स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्‍पायरिंग माइंड्स (स्‍वयम), स्‍वयम प्रभा, राष्‍ट्रीय उच्‍चतर शिक्षा अभियान (रूसा), उन्‍नत भारत अभियान (यूबीए), इम्‍पेक्‍टफुल पालिसी रिसर्च इन सोशल साइंस (इम्‍परेस), इम्‍पेक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्‍नालॉजी (इम्प्रिंट), लीडरशिप फार एकेडेमिशियन प्रोग्राम (लीप), एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग (अर्पित), नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी (एनएडी), नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया (एनडीएल) आदि शामिल हैं। भारत सरकार की इन पहलों के अतिरिक्‍त यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा देश की उच्‍च शिक्षा गुणवत्‍ता मानक सुधार हेतु विभिन्‍न विनियम जारी किए गए हैं। राष्‍ट्रीय मूल्‍यांकन एवं प्रत्‍यायन परिषद (एनएएसी) और राष्‍ट्रीय प्रत्‍यायन बोर्ड (एनबीए) देश में उच्‍चतर शिक्षा की गुणवत्‍ता सुनिश्चित करती है। इन पहलों का एक लाभ यह है कि भारत में उच्‍चतर शिक्षा प्राप्‍त करने के लिए ज्‍यादा विदेशी छात्र आते हैं।

**\*\*\*\*\***

**“विदेशी छात्र एवं संकाय सदस्यगण’’ के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्री मो॰ नदीमुल हक द्वारा दिनांक 13.12.2018 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 400 के भाग (क) के उत्‍तर में उल्लिखित संलग्‍नक**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों** | **उच्च शिक्षा संस्थानों में वास्तविक छात्रों की कुल संख्या (वास्तविक प्रतिक्रिया के आधार पर)** | | |
| **2015** | **2016** | **2017** |
| 1 | **आंध्र प्रदेश** | 1787 | 2341 | 2092 |
| 2 | **अरुणाचल प्रदेश** | 0 | 0 | 1 |
| 3 | **असम** | 164 | 184 | 306 |
| 4 | **बिहार** | 268 | 292 | 269 |
| 5 | **चंडीगढ़** | 552 | 639 | 580 |
| 6 | **छत्तीसगढ़** | 127 | 153 | 182 |
| 7 | **दिल्ली** | 2063 | 2632 | 2266 |
| 8 | **गोवा** | 143 | 164 | 240 |
| 9 | **गुजरात** | 1055 | 1430 | 1689 |
| 10 | **हरियाणा** | 1321 | 1783 | 2017 |
| 1 1 | **हिमाचल प्रदेश** | 483 | 666 | 871 |
| 12 | **जम्मू-कश्मीर** | 8 | 18 | 1 1 |
| 13 | **झारखंड** | 93 | 121 | 89 |
| 14 | **कर्नाटक** | 14,398 | 13050 | 12041 |
| 15 | **केरल** | 133 | 104 | 136 |
| 16 | **मध्य प्रदेश** | 340 | 440 | 654 |
| 17 | **महाराष्ट्र** | 4649 | 4619 | 4306 |
| 18 | **मणिपुर** | 7 | 8 | 10 |
| 19 | **मेघालय** | 217 | 160 | 172 |
| 20 | **मिजोरम** | 4 | 7 | 5 |
| 21 | **नगालैंड** | 2 | 0 | 0 |
| 22 | **ओडिशा** | 112 | 309 | 200 |
| 23 | **पुडुचेरी** | 105 | 46 | 45 |
| 24 | **पंजाब** | 2459 | 3246 | 3775 |
| 25 | **राजस्थान** | 856 | 948 | 1101 |
| 26 | **सिक्किम** | 473 | 339 | 214 |
| 27 | **तमिलनाडु** | 5377 | 4889 | 3542 |
| 28 | **तेलंगाना** | 3032 | 3461 | 2877 |
| 29 | **त्रिपुरा** | 1 1 | 19 | 26 |
| 30 | **उत्तर प्रदेश** | 3407 | 3602 | 4465 |
| 31 | **उत्तराखंड** | 826 | 843 | 1055 |
| 32 | **पश्चिम बंगाल** | 952 | 1062 | 907 |
| **अखिल भारतीय** | | **45,424** | **47,575** | **46,144** |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप में, कोई विदेशी छात्र नहीं हैं। | | | | |

**\*\*\*\*\***